अन्तर्गत न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

**अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1099/2026**

मिथिलेश देवी बनाम् बिहार सरकार

01.06.2026 आवेदिका मिथिलेश देवी, पति–स्व0 बतहू पासवान, सा0–चकहुसैन सिलौत, थाना–मुफ्स्सील, जिला–समस्तीपुर, जिसे मुफ्स्सील थाना कांड सं0–155/2026, अन्तर्गत धारा 137(2),140(3),96,352,351(2),3(5) भा0 न्या0 सं0, में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचिका शोभा देवी के आवेदन–पत्र के आधार पर आवेदिका एवं अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध संस्थित की गई है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 28.03.2026 को समय करीब 11.00 बजे दिन में उसकी नाबालिग पुत्री प्रीति कुमारी, उम्र–17 वर्ष अपने घर से के0 ई0 इंटर कॉलेज, समस्तीपुर में इंटर की पढाई करने गई थी, लेकिन शाम 4.00 बजे तक लौटकर घर वापस नहीं आई तो उसे खोज–बीन करना शुरू किया। खोज–बीन के क्रम में पता चला कि सोनू कुमार, नानी मिथिलेश देवी के साथ टोटो में बैठकर चीनी मिल चौक, समस्तीपुर में कहीं जाते हुए देखा गया जिसके बाद वह सोनू कुमार के घर गई तो वह वहां नहीं मिली तथा उसकी नानी से पूछने पर उसके साथ गाली–गलौज की तथा झूठे हरिजन केस में फंसाने की धमकी देते हुए अपने घर में ताला मारकर कहीं भाग गई है। वह सोनू को मो0 नं0–7619623907 पर सम्पर्क किया तो मोबाईल स्वीच ऑफ है। उसे पूर्ण आशंका है कि सोनू कुमार अपनी नानी के साथ मिलकर उसकी नाबालिग बेटी को बहला–फुसलाकर उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने या किसी गलत नियत एवं उद्देश्य से अपहरण कर लिया है।

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश कुमार राय अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदिका बिल्कुल निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं की है तथा उसे इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद में आवेदिका के विरूद्ध धारा 96 भा0 न्या0 सं0 का आरोप नहीं बनता है। आवेदिका अभियुक्त सोनू कुमार की नानी है जिसकी उम्र 70 वर्ष है। आवेदिका कभी भी पीड़िता प्रीति कुमारी को नहीं बहकाई तथा कभी भी पीड़िता को टोटो से नहीं ले गई। आवेदिका को सोनू कुमार के मामले से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आवेदिका के पलायन एवं उसके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा वह बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदिका को उसकी गिरफ्तारी या निम्न न्यायालय में आत्म समर्पण करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका प्राथमिकी की नामजद अभियुक्ता हैं। प्राथमिकी के अनुसार आवेदिका के विरूद्ध वाद के अन्य अभियुक्त सोनू कुमार के साथ मिलकर सूचिका की नाबालिग बेटी प्रीति

Web Copy

**अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1099/2026**

लगातार

01.06.2026 कुमारी को बहला–फुसलाकर उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने या किसी गलत नियत एवं उद्देश्य से अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। उपरोक्त तथ्यों का समर्थन केस दैनिकी की कंडिका 2 में वादिनी ने अपने पुनः बयान में एवं कंडिका 6, 7, 8 में साक्षियों ने अपने–अपने साक्ष्य में किया है। इस वाद की अपहृता प्रीति कुमारी अभी तक बरामद नहीं हुई है। आवेदिका के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति गंभीर है एवं वाद अभी अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आरोप की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए आवेदिका को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदिका मिथिलेश देवी की अग्रिम जमानत की प्रार्थना को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy